REGD. NO. D. L .- 33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

सं. 12]

No. 12]



The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2006/माघ 5, 1927 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2006/MAGHA 5, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

फा. सं. 49-29/2005-राअशिप (मा तथा मा).— विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले जो विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राख्यापित किए गए थे, उनमें अन्य के साथ-साथ विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों का प्रावधान किया गया है। डिग्री स्तर के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मामले में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए राअशिप विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे विनियामक निकायों द्वारा यथानिर्धारित अन्य अर्हताएं भी शामिल हैं।

इस तरह की नियुक्तियों के लिए पूर्णतः पात्र उम्मीदवारों की अत्यधिक कमी के कारण नेट/एसएलईटी पास करने की शर्त में ढील दिए जाने के बारे में डिग्री स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध कराने के निमित्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किए बिना इस संबंध में कतिपय ढील देने का निर्णय लिया है।

अतः अब राअशिप, 1993 (1993 का 73वां) के खंड 32 (2) (घ) (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निम्न विनियम बनाती है अर्थातः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (डिग्री स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं में ढील के लिए मानदंड) विनियम, 2005

लए मानदेख) पिनियम, 2005

राहायक नियंत्रक (प्रशसिन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग ।सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

229 GI/2006

(1)

664

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अर्हता में ढील
 - (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्रदत्त डिग्री स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसेकि बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण पद पर सामान्यतः ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा जो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी न करता/करती हो।
 - (2) तथापि समुचित संख्या में उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, प्रार्थी संस्थानों के अनुरोध पर राअशिप द्वारा केवल नेट/एसएलईटी पास करने की शर्त में निम्न राजों के अध्यधीन ढील दिए जाने पर विचार किया जा सकता है:
 - (क) नियुक्ति के लिए सामान्य स्थितियों के अधीन उपलब्ध सभी पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है और अभी भी कुछ पद खाली हैं।
 - (ख) पात्र उम्मीदवारों को आकृष्ट करने के लिए रिक्तियों की उपलब्धता के बारे में वेतनमान, कर्तव्य आदि संबंधी पूरे विवरण देते हुए राष्ट्रीय/दैनिक समाचार पत्रों अथवा रोजगार समाचार में समुचित रूप से विज्ञापन दिय गए थे।
 - (ग) ढील पर केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में विचार किया जाएगा जिसमें नियमित नियुक्ति की अनुमति इस शर्त दी जाएगी कि नेट / एसएलईटी / पी.एच.डी आदि पास करने पर नियुक्त व्यक्ति के पास हो जाने के बाद उसे स्थायी कर दिया जाएगा।
 - (3) नेट/एसएलईटी की शर्त में ढील राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
 - (4) ढील दिए जाने के अनुरोध पर उक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसा करते समय केवल विधिवत रूप से गठित चयन समिति की, जिसने उपलब्ध अभ्यर्थियों पर विचार किया था, सिफारिशों पर आधारित ठोस आधार को ध्यान में रखा जाएगा। समिति को विधिवत रूप से गठित केवल तभी माना

665.

N25 4 11

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग संविल लाइन्स, दिल्ली–54 जाएगा जबकि उसमें संबंधित परीक्षण निकाय सम्बन्ध प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय / संगठन द्वारा नामित कम से कम एक विशेषज्ञ शामिल हो।

- (5) संस्थान/संगठन, नेट/एसएलईटी पास करने के संबंध में इस तरह की ढील के लिए अनुरोध संबंधी प्रस्ताव पात्र उम्मीदवारों के चयन के तत्काल बाद निर्धारित प्रपत्र में राअशपि मुख्यालय को भेजेगा।
- (6) इस तरह के मामलों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा गठित कम से कम तीन विशेषज्ञों की समिति (समितियों) द्वारा विचार किया जाएगा । ढील मंजूर करने या न करने की सिफारिश करने के लिए समिति द्वारा अन्य के साथ-साथ चयन समिति टिप्पणियों तथा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा ।
- (7) विशेषज्ञ समिति अपने निष्कर्ष अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए प्रस्तुत करेगी।
- (8) ढील दी गई शर्तों पर चुने जाने के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र केवल संबंधित संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से ढील दिए जाने के आदेश के प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- (9) जो अध्यापक इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पहले सेवारत हैं और जिन्हें नेट/एसएलईटी से छूट की जरूरत है, उनके संबंध में नेट/एसएलईटी की शर्त में ढील मांगे जाने संबंधी प्रस्ताव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दो महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम/नियोक्ता प्राधिकारी की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मुख्यालय को भेजे जाएंगे।
- (10) शिथिल किए गए मानकों के अधीन नियुक्त किए गए उम्मीद्वार यथासंभव शीघ्र अपने आपको पी.एच.डी. के लिए पंजीकृत कराएंगे और अपनी नियुक्ति के पांच वर्षों के भीतर अपनी पी.एच.डी पूरी कर लेंगे । संस्थान, उम्मीद्वार की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर उसके द्वारा पी.एच.डी. के लिए पंजीकरण कराए जाने का प्रमाण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को भेजेगा ।
- (11) इन विनियमों के प्रावधानों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप शिथिल किए गए मानकों पर की गई नियुक्ति को जारी रखना अवैध हो सकता है ।

666

एल. आर. अग्रवाल, उप सचिव [विज्ञापन III/IV/131/2005-असा.]

भाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग । सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

[PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली - 110002

शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता की नियुक्तियों में राअशिप द्वारा गठित न्यूनतम अर्हताओं में ढील देने हेतु प्रारूप

(अर्हताओं में छूट हेतु परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संस्थान को निम्न सूचनाएँ उपलब्ध करानी चाहिए । यह प्रत्येक अभ्यार्थी हेतु अलग से भरा जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम	
2.	उस अभ्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में जिसके लिए	
	योग्याता में छूट माँगी गई है और उसकी शैक्षिक	
	योग्याता	
3	शिक्षकों की संख्या जो कि संस्था में चाहिए, पदों	
	की संख्या जो की भरी गई है और जो खाली हैं	
4.	अभ्यार्थी के चयन के लिए मुख्य कारण / श्रेष्ठता,	
	पमाण सहित	
5.	क्या पदों का विज्ञापन कम से कम 2 राष्ट्रीय /	
	स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक अंग्रेजी	
	स्यानाय पात्र सहित अथवा रोजगार समाचार में	
	वेतनमान, कार्य विवरण इत्यादि सहित दिया	
	गया था। (विज्ञापन की प्रति संलग्न करें)	
6	क्या विद्यार्थी अ.जा./ अ.ज.जा./ विकलांग या	
	किसी अन्य जाति का है	
7.	साक्षात्कार किए गए विद्यार्थियों की संख्या उनके	
	संक्षिप्त जीवनवृत्त सहित	
8.	साक्षात्कार किए गए अभ्यार्थियों में कितने	
	अभ्यार्थी नेट उत्तीर्ण/नेट मुक्त हैं	
9.	चयन समिति का गठन एवं उपस्थित सदस्य	
10	नेट/स्लेट से छूट हेतु चयन समिति का अनुमोदन	
	कार्यवृत्त सहित	

प्राचार्य / रजिस्ट्रार के हस्तक्षार सील सहित

Atteiter 111 गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग ' सेविल लाइन्स, दिल्ली-54 117

[भाग]]]—खण्ड 4]

٩.,

£ ..

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2005

F. No. 49-29/2005-NCTE (N & S).— Regulations laying down norms and standards for various teacher education programmes promulgated by the National Council for Teacher Education provide for, inter-alia, the eligibility criteria for appointment to teaching posts for various teacher education programmes. For appointment to the post of lecturer concerning degree level teacher education programmes, NCTE regulations also include other qualifications as may be prescribed by regulatory bodies like the University Grants Commission.

Due to acute shortage of candidates fully eligible for such appointments, several representations have been received from degree level teacher training institutions for relaxation of the requirement relating to passing of NET/ SLET. In order to make available adequate number of candidates for appointment to various teaching posts in teacher education institutions, the National Council for Teacher Education has decided to grant certain relaxation in this regard without compromising the quality.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 32(2)(d)(i) of the NCTE Act,1993(73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely :-

1. Short Title and Commencement

- (1) These regulations may be called "The National Council for Teacher Education (the criteria for relaxation in qualifications required for appointment to teaching posts in degree level teacher training courses) Regulations, 2005.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Relaxation of Qualification for appointment to teaching posts

 Normally no person shall be appointed to a teaching post for a degree level teacher training course recognised by the National Council for Teacher Education, i.e., B.Ed., M.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed. courses, if he/she does not fulfil the

668

Attet ul II

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग संविल लाइन्स, दिल्ली–54

¢.

minimum qualifications prescribed in the norms and standards laid down by the National Council for Teacher Education for the particular course.

(2) However, in the event of non-availability of adequate number of suitable candidates, on the request of the applicant institution, grant of relaxation only with regard to passing of NET/SLET can be considered by the NCTE subject to the following conditions:-

- a) The availability of vacancies was properly advertised in the National/Local Dailies or Rozgar Samachar giving full details of pay scale, duties etc. to attract eligible candidates.
- b) All the candidates eligible under normal conditions available for appointment have been appointed and some posts still remain vacant.
- c) The relaxation would be considered only as a temporary measure for a period of 3 years permitting regular appointment subject to confirmation after the appointee becomes eligible on clearance of NET/SLET/Ph.D. etc.
- (3) Relaxation of the requirement of NET/SLET can be made only by the competent authority in the National Council for Teacher Education.
- (4) The request for relaxation would be considered by the said authority taking into account sound justification based on the recommendation of the duly constituted Selection Committee which considered the available applicants. A committee would be considered duly constituted only if at least one expert nominated by the concerned examining body/affiliating university/organisation is represented therein.
- (5) An institution/organisation shall submit to the NCTE Hqrs its proposal seeking such relaxation with regard to passing of NET/SLET in the prescribed format immediately after selection of the eligible candidates.
- (6) Such cases shall be considered by the committee(s) of at least three experts, constituted by the Chairperson of the National Council for Teacher Education. The committee shall take into account all the relevant factors including, inter alia, the comments of the Selection Committee and the documents furnished by the institution, for recommending grant of relaxation or otherwise.

669

other Splulu

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ'रत सरकार, प्रकाशन विमाग । सेविल लाइन्स, दिल्ली–54 ELCO.

 (7) The expert committee shall submit its findings for approval by the Chairperson.
 (8) Letter of approximation

(8) Letter of appointment to the selected candidates proposed to be appointed on relaxed conditions shall be issued by the institution concerned only after receipt of relaxation order from the National Council for Teacher Education.
 (9) In respect of teachers along the selected candidates proposed to be appointed on relaxed conditions shall be issued by the institution concerned only after receipt of relaxation order from the National Council for Teacher Education.

(9) In respect of teachers already working and requiring exemption from NET/SLET before issuance of this notification, proposals for seeking relaxation from the requirement of NET/SLET shall be submitted to the headquarters of the National Council for Teacher Education on the prescribed format along with the approval of the competent/appointing authority, within two months of the publication of the notification.
 (10) The candidates so appointed and the submitted to the submitted to the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted to the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the submitted format along with the approval of the submitted to the sub

(10) The candidates so appointed under the relaxed standards, at the earliest possible opportunity shall register themselves for Ph.D. and complete their Ph.D. within five years of their appointment. The institution shall furnish to the National Council for Teacher Education proof of registration of the candidate for Ph. D. within one year from his/her appointment.
(11) Failure to comply with the number of the numb

(11) Failure to comply with the provisions of these regulations may render the continuation of appointment on relaxed standards void.

f c

L. R. AGGARWAL, Dy. Secy. [ADVT. III/IV/131/2005-Exty.]

गहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सेविल लाइन्स, दिल्ली–54 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

National Council for Teacher Education New Delhi - 110 002

Proforma for Seeking Relaxation in the Minimum Qualifications Prescribed by NCTE for Appointment to the Post of Lecturer in Teacher Education Institutions

(The institutions should furnish the following information for obtaining approval of the Council while seeking relaxation in qualifications. This is required to be filled up separately in respect of each candidate).

1.	Name of the institution	
2.	Name of the candidate in block letters for whom relaxation is being sought along with his qualification.	
3.	Number of teachers required in the institution, number of posts filled and vacant.	
4.	Special reason/ merit of the candidate for selection to the post with justification(s).	
5.	Whether the post was advertised in at least two National/local dailies including one English Daily or Rozgar Samachar giving full details of pay scale, duties, etc. (enclose copy of advertisement).	
6.	Whether the candidate belongs to SC/ST/Physically handicapped or any other category.	
7.	Number of candidates interviewed with their brief bio-data.)
8.	Number of candidates having NET/ NET exempted qualifications out of the interviewed candidates.)
9.	Composition of the Selection Committee and members present.	
10	Recommendations of the Selection Committee for exemption from NET/SLET along with a copy of the minutes of the Selection Committee.	

Signature of Principal/Registrar with seal

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MM

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग सेविल लाइन्स, दिल्ली–54